

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

दूरभाष एवम् ईमेल नम्बर - 01592 - 235475/235474 E-mail id :- dceojalind@gmail.com

कमक-जिआ/प्रार/सु/मान्यता/2012/858

दिनांक- 30.10.11

प्रबन्धक

सीरी विद्या मन्दिर,
पिलानी

विषय - निम्न शूल्क एवं अभिवार्य बात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निम्न शूल्क एवं अभिवार्य बात शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के तहत नियम (4) के अर्धीन विधालय को मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

आपके दिनांक- 19.10.11 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के सचय पत्राचार/निर्देशों के प्रतिनिर्देश से म. 1/9/11 से दिनांक- 21/9/11 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1-5 तक 8

तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संज्ञाना देता है। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पक्ष किए जाने के अधीन है -

1. मान्यता की मागूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यन्त मान्यता/संकेतन के लिए कोई कायदा विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निम्न शूल्क एवं अभिवार्य बात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और नि-शूल्क एवं अभिवार्य बात शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यार्थी कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक अक्स-1/2/3 के कमजोर वर्गों और अन्ततः पर शम्भु के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि-शूल्क और अभिवार्य प्राथमिक शिक्षा इसके पक्ष ही जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. नियम 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सांसायटी/विधालय किसी कैंपिडिशन शूल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या बालिका को प्रवेश या सखक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उपलब्ध नहीं करेगा।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक टर्बड या मानसिक दुःखीकरण के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अर्धीन अधिकतम किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निराकता तहत/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का स्लाबक किया जायेगा।
 - (vi) अध्यापकों की शर्तों अधिनियम की धारा 23(1) के अर्धीन यथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिात करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अर्धीन निर्दिष्ट अपने कार्यों का पालन करेगा।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किंवा कलाओं में नियोजित नहीं करेगा।

Principat

Principat
Ceeri Vidya Mandir

Pilani, Distt.-Jhunjhunu (Raj.)-333081

Secretary

Secretary/सचिव
CEERI Educational Society
सीरी शैक्षणिक समिति
Pilani-333031 (Rajasthan)
पिलानी-333031 (राजस्थान)